रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1993/पौष 17, 1914
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1993/PAUSA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1993

का.आ. 33(अ)—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की

अधिसूचना सं. का.आ. 904(अ) तारीख 10 दिसम्बर 1992 के भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 दिसम्बर, 1992 में प्रकाशित होने पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में विहित हो गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार, तारीख 10 दिसम्बर, 1992 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जायेंगे, अर्थात् :—

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी,

(2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण गठित किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी वहन करेगी और इस प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी व्यय भी, सरकारी कम्पनी वहन करेगी;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार और उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो क्षतिपूर्ति करेगी ;

(4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी, और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और ऐसी शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हों, उक्त भूमि या विनिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं, पालन करेगी।

[फा. सं. 43015/5/89/एल.एस.डब्ल्यू.]

वी. के. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1993

S.O. 33(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 904(E), dated the 10th December, 1992 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 10th December, 1992, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and rights in or over the lands as described in Scedule 'A' and Schedule 'B' appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, Nagpur (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Goverament thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands and rights in or over such lands so vested shall, with effect from the 10th December, 1992, instead of continuing to so vest in the Central Government, vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely :—

(1) the Government Company shall reimburse the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act;

(2) a tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the

tribunal shall be borne by the Government Company and, similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands so vesting shall also be borne by the Government Company;

(3) the Government Company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government and or its officials regarding the rights in or over the said lands so vesting;

(4) the Government Company shall have no power to transfer the said lands to any other person without the previous approval of the Central Government; and

(5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands as and when necessary.

(No. 43015|5|89-LSW)

B. K. SINGH, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993